

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) न्यायालय समिति ५७

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

राजकुमार पुत्र श्रीगणेश बनाम राजस्वान सरकार

दावा बाबत श्रीगणेश अन्तर्गत धारा 88RTA

मुकदमा नम्बर :- 118 / 2022

निर्णय दिनांक :- 10-06-2022

वादी की ओर से हर्षा वादी की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.06.22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी पैरोकार किया जाकर रोही ग्राम बाहर खाता सं. 179 खं. नं. 489, 518 की जमाबंदी में अंकित राजराम, पुत्र श्रीवाराम के स्थान पर राजकुमार पुत्र श्रीगणेश को जमाबंदी की घोषणा की जाती है। तदनुसार चूरु डिवीजन राजस्व अभिलेख में अंकित कराया जाए। वादी के पक्ष पूर्व में किली आपराधिक प्रकरण दर्ज होने या सरकारी वकालत की स्थिति में पूर्व नफ मान्य होगा।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10.06.22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	



डाक नं. 1844 पर दर्ज है